न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021
मु०अपराध सं०–185/2020
धारा–147, 148, 149, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं०
व 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, **बी०डी०भारती**, अपर जिला सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ आप अभियुक्तगण **(1)–बहाजुद्दीन (2)–जिबरान (3)–फरहान (4)–सफवान (5)–दानिश** को निम्नवत् आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 12–10–2020 को समय करीब 11–00 बजे दिन स्थान ग्राम चकिया हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में फौजदारी मुकदमें के विवाद को लेकर आप लोग अपने अन्य साथियों **खालिद, मो० आरिफ उर्फ मुन्ना, मो० वासिफ** के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में बल्बा कारित किया । इस प्रकार आप लोग **धारा 147 भा०दं०वि०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोग अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में घातक आयुधों से लैश होकर बल्वा कारित किये । इस प्रकार आप लोग **धारा 148 भा०दं०वि०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोग अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में जान मारने की नियत से वादी मुकदमा अबूतलहा के भतीजे **असमर तथा काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकू से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिये । इस प्रकार आप लोग **धारा 302/149 भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोग अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में आपराधिक षडयन्त्र कर बच्चों की कहासुनी का बहाना लेकर वादी मुकदमा अबूतलहा के भतीजे **असमर** तथा **काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकूओं से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिये। इस प्रकार आप लोग धारा **120 बी भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में **वादी के रिश्तेदार मोशीर** के ऊपर जान मारने की नियत से चाकूओ से प्रहार कर घायल कर दिया यदि उक्त घटना में मोशिर की मृत्यु हो जाती तो आपलोग हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपलोग **धारा 307/149** भा०दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उपरोक्त दिनाँक समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्द्वेश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा एवं उसके परिवारवालों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया । इस प्रकार आपलोगों ने **धारा 506 भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों निर्देश देता हूँ कि आप लोगों का परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक:**06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1,आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उनसे पूंछा गया कि वे जुर्म स्वीकार करना चाहते है या विचारण चाहते हैं ? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनाँक:**06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1,आजमगढ़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021

मु०अपराध सं०–185/2020

धारा–147,148,149,302/149,307/149,506,120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम

थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, **बी०डी०भारती**, अपर जिला सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ आप अभियुक्त**–मो० आरिफ उर्फ मुन्ना** को निम्नवत् आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 12–10–2020 को समय करीब 11–00 बजे दिन स्थान ग्राम चकिया हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में फौजदारी मुकदमें के विवाद को लेकर आपने अपने अन्य साथियों **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान दानिश, खालिद, वासिफ** के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में जान मारने की नियत से वादी मुकदमे के भतीजे **असमर तथा काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकू से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया । इस प्रकार आपने **धारा 302/149 भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उद्धेश्य को अग्रसरित करने में आपराधिक षडयन्त्र कर बच्चों की कहासुनी का बहाना लेकर वादी मुकदमा के भतीजे **असमर** तथा **काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकूओं से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया। इस प्रकार आपने धारा **120 बी भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँकः**06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1,आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूंछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चााते है या विचारण चाहता है ? अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनाँकः**06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1,आजमगढ़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021

मु०अपराध सं०–185/2020

धारा–147,148,149,302/149,307/149,506,120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम

थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, **बी०डी०भारती**, अपर जिला सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० –1, आजमगढ आप अभियुक्त **खालिद** को निम्नवत् आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 12–10–2020 को समय करीब 11–00 बजे दिन स्थान ग्राम चकिया हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में फौजदारी मुकदमें के विवाद को लेकर आपने अपने अन्य साथियों **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान दानिश, खालिद, वासिफ, मो० आरिफ उर्फ मुन्ना** के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में बल्बा कारित किया । इस प्रकार आपने **धारा 147 भा०दं०वि०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में घातक आयुधों से लैश होकर बल्वा कारित किया । इस प्रकार आपने **धारा 148 भा०दं०वि०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में जान मारने की नियत से वादी मुकदमे के भतीजे **असमर तथा काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकू से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया इस प्रकार आपने **धारा 302/149 भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में आपराधिक षडयन्त्र कर बच्चों की कहासुनी का बहाना लेकर वादी मुकदमा के भतीजे **असमर** तथा **काजिम पुत्र फहीम निवासी संजरपुर** के उपर पर चाकूओं से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिये। इस प्रकार आप लोग धारा **120 बी भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों उपरोक्त के साथ मिलकर सामान्य उ़द्देश्य को अग्रसरित करने में **वादी के रिश्तेदार मोशीर** के ऊपर जान मारने की नियत से चाकूओ से प्रहार कर घायल कर दिया यदि उक्त घटना में मोशिर की मृत्यु हो जाती तो आपलोग हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपलोग **धारा 307/149** भा०दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उपरोक्त दिनाँक समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्द्वेश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा एवं उसके परिवारवालों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया इस प्रकार आपलोगों ने **धारा 506 भा०दं०सं०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम–यह कि दिनाँक 18.12.2020 को समय अज्ञात बहद स्थान चकया हुसेनाबाद के करीब कब्रिस्तान के आगे गांव के दक्षिण दिशा मे स्थित बाग के पास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ मय पुलिस बल द्वारा आपके निशानदेही पर एक अदद चाकू बरामद किया गया जिसको रखने का आपके पास कोई लाईसेन्स नहीं था । इस प्रकार आपने धारा **4/25 आयुध अधिनियम** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँकः**06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1,आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूंछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहते है या विचारण चाहता है ? अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनाँकः **06.10.2021**

(**बी०डी०भारती**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021

मु०अपराध सं०–185/2020

धारा–147, 148, 149, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम

थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

06.10.2021

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश, मो० आरिफ उर्फ मुन्ना, खालिद** जेरे हिरासत जिला कारागार से उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त **खालिद** के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप व अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश के विरूद्ध** धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं० का आरोप अभियुक्त **मो आरिफ उर्फ मुन्ना** के विरूद्ध 302/149, 120 बी भा०दं०सं० का आरोप बनाये जाने की याचना की गयी । जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया अभियुक्त **खालिद** के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप व अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश के विरूद्ध** धारा–147, 148, 302/149, 307/149, 506, 120 बी भा०दं०सं० का आरोप अभियुक्त मो आरिफ उर्फ मुन्ना के विरूद्ध 302/149, 120 बी भा०दं०सं० का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं परीक्षण की मांग किया । पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 18.10.2021 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़।